मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3277
24 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत मलिन बस्तियों का विकास

3277 श्रीमती फूलो देवी नेतामः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित शहरों की कुल संख्या कितनी है, कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति सहित उनके लिए आवंटित/खर्च किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के समग्र विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्मार्ट सिटी में ध्वस्त की गई मलिन बस्तियों में से कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन स्मार्ट सिटी में कितने शहरी बेघर परिवारों को आवास सुविधा मुहैया कराई गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की थी। जनवरी, 2016 से जून, 2018 तक 4 दौर में 100 शहरों का चयन पूरा किया गया है। 100 स्मार्ट सिटीज़ द्वारा उनके स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के भाग के रूप में 2,05,018 करोड़ रू. मूल्य की कुल 5,151 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई थीं। केन्द्र सरकार द्वारा इस मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड. रु. तक या प्रति शहर औसतन 500 करोड. रु की वित्तीय सहायता प्रदान की

जाएगी। संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समानता के आधार पर सहायता के रूप में समान राशि दी जाएगी। इन निधियों के अलावा, लगभग 41,022 करोड. रु. (21%) अन्य मिशनों के अभिसरण से, 42,028 करोड. रु. (21%), सार्वजनिक निजी भागीदारी से, लगभग 9,843 करोड. रूपए (4.8%) ऋण से, 2,644 करोड. रु. (1.3%) स्वयं के स्रोतों से तथा शेष राशि अन्य स्रोतों से प्रस्तावित की गई है। 5 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने केन्द्रीय हिस्से के रूप में 22,839 करोड. रु. जारी किए हैं जिनमें से स्मार्ट सिटीज़ द्वारा 19,195 करोड. रु. (84%) का उपयोग किया गया है। स्मार्ट सिटीज ने इस परियोजना के क्रियान्वयन में काफी प्रगति दर्शाई है। इस दिशा में 1,72,694 करोड़ रू. (84%) की लागत वाली 5516 परियोजनाओं के लिए निविदा जारी की जा चुकी हैं जिनमें से 1,39,391 करोड. रु. (68%) की लागत वाली 4,806 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं/पूरी हो चुकी हैं।

(ख) से (घ) : चूंकि भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं, अत: स्लमों के विकास के लिए डाटा संग्रहण, नीति निर्माण तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्लमों से संबंधित मुद्दों सहित आवासों की कमी को पूरा करने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय दोनों रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करते हुए व्यापक प्रयास करती आ रही है। एससीएम के तहत, 24 स्मार्ट सिटीज ने 3,298 करोड. रु. की अनुमानित लागत से चल रही 43 स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं की सूचना दी है। भारत सरकार के 2022 तक 'सभी के लिए आवास' विजन के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को सभी मौसमानुकूल पक्के मकान प्रदान करने के लिए जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के तहत 'स्वस्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक का लक्ष्य विशेष रूप से एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हूए स्लम निवासियों को आवास प्रदान करना तथा उन्हें औपचारक शहरी बसावट के तहत लाना है। अब तक, इस योजना के तहत स्लम में रहने वाले 4.54 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है।

श्रीमती फूलो देवी नेताम, माननीय संसद सदस्या द्वारा "एससीएम के तहत स्लम का विकास" के संबंध में पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3277 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू मिशन के तहत 'स्वस्थाने ' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक के तहत स्वीकृत किए गए आवासों की संख्या सहित शहरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरों की संख्या	आईएसएसआर के तहत स्वीकृत आवासों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	-	-
2	आंध्र प्रदेश	2	1,617
3	अरुणाचल प्रदेश	4	1,536
4	असम	2	108
5	बिहार	5	11,276
6	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-
7	छत्तीसगढ	1	300
8	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	-	-
9	दिल्ली (यूटी)	-	-
10	गोवा	-	-
11	गुजरात	15	92,811
12	हरियाणा	6	3,593
13	हिमाचल प्रदेश	1	300
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	-	-
15	झारखंड	22	19,748
16	कर्नाटक	10	23,125
17	केरल	5	2,118
18	लद्दाख (यूटी)	1	369
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-
20	मध्य प्रदेश	7	10,295
21	महाराष्ट्र	9	2,23,506
22	मणिपुर	-	-
23	मेघालय	-	-
24	मिजोरम	1	142
25	नागालैंड	3	1,054
26	ओडिशा	5	18,535
27	पुदुचेरी (यूटी)	-	-
28	पंजाब	1	1,025
29	राजस्थान	16	21,908
30	सिक्किम	-	-
31	तमिलनाडु	8	4,880
32	तेलंगाना	1	1,198
33	त्रिपुरा	4	3,005
34	उत्तर प्रदेश	16	8,409
35	उत्तराखंड	10	3,130
36	पश्चिम बंगाल	3	472
कुल		**158**	**4,54,460**

****